

दिल्ली विकास प्राधिकरण
कुतुब गोल्फ कोर्स
प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली - 110017

F1(40)/QGC/DDA/2011-12/473

दिनांक: 21.06.2021

नीलामी सूचना संख्या 01/क्यूजीसी/डीडीए/2021-22

कुतुब गोल्फ कोर्स में अनुपयोगी वस्तुओं और बेकार / स्क्रेप सामग्री (सिविल, इलेक्ट्रिकल, हॉर्ट) की नीलामी नीचे दी गई तारीख, समय और स्थान के आधार पर आयोजित की जाएगी। नीलामी के निर्धारित दिन पर सामग्री का विवरण बोलीदाताओं को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच दिखाया जाएगा।

बोली शुरू होने से पहले प्रत्येक बोलीदाता को रुपये जमा करने होंगे। १०,०००/- (दस हजार रुपये मात्र) बयाना राशि के रूप में किसी भी शेड्यूल बैंक के नकद/पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के पक्ष में आरबीआई द्वारा अनुमोदित कुतुब गोल्फ कोर्स में खाता शाखा में जमा किया जाना है। उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़कर नीलामी पूरी होने के बाद वापसी योग्य होगी, जिसे प्रस्तावित राशि का 25% (नकद / पीओ ऑर्डर / डीडी में) + जीएसटी अतिरिक्त रुपये की बयाना राशि को समायोजित करने के बाद जमा करना होगा। 10,000/- ऐहतियाती राशि के रूप में। मांग/स्वीकृति पत्र या उसके किसी विस्तार के जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर 75% की शेष राशि + प्रस्तावित राशि का जीएसटी "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा किया जाएगा। यदि राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी ऐहतियाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25%) पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और इस खाते पर किसी भी फोरम या अदालत द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

आयुक्त (खेल), डीडीए बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली लगाने वाले को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नीलामी का स्थान: कुतुब गोल्फ कोर्स
प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली - 110017

दिनांक और समय: 12.07.2021 दोपहर 12.00 बजे

आरक्षित मूल्य: रु 3,38,415/-

ईएमडी:- रु. 10,000/-

नियम एवं शर्तें:

1. विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
2. कार्य की समयावधि और मद को हटाने के दौरान किसी प्रकार की हानि/क्षति/चोट/दुर्घटना होने पर एजेंसी जिम्मेदार होगी। एजेंसी सचिव/क्यूजीसी के आदेश/निर्देशों के अनुसार वस्तुओं को उठाएगी।

3. बोली की वैधता नीलामी की तारीख से 30 दिन होगी।
4. एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के लिए, आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम और बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी फोरम के समक्ष किसी भी प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।
5. एजेंसी/ठेकेदार किसी भी कर देयता के लिए उत्तरदायी होंगे।
6. लागू जीएसटी अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा।
7. सामग्री उठाने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
8. यदि सामग्री निर्धारित अवधि के भीतर नहीं उठाई जाती है तो उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई एहतियाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25% + जीएसटी) जब्त कर ली जाएगी।

**निवासी इंजीनियर
कुतुब गोल्फ कोर्स**